संख्या– /XVIII(1)/2017-1(8)/2016 TC-1

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
प्रोटोकॉल विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

राजस्व अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 28 फरवरी, 2017

विषयः– वित्तीय वर्ष 2016–17 की अनुदान संख्या–06 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2053–जिला प्रशासन–093–जिला स्थापनाएं–03–कलेक्ट्रेरी स्थापना–मानक मद–22 आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि हेतु प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अनुसचिव, प्रोटोकॉल, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–13/17/XXXIII-50(01)/2014 दिनांक 12 जनवरी, 2017 के क्रम में वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–490/XXVII-(1)/2016 दिनांक 31 मार्च, 2016 एवं शासनादेश संख्या–847/XXVII-(1)/2016 दिनांक 26 जुलाई, 2016 एवं शासनादेश संख्या–1391/XXVII(1)/2016 दिनांक 01 दिसम्बर, 2016 के अनुक्रम में शासनादेश संख्या–510/XVIII(1)/2016-1(8)/2016 TCI दिनांक 29 अप्रैल, 2016 एवं शासनादेश संख्या–1043/XVIII (1)2016-1(8)/2016 TCI दिनांक 17 अगस्त, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 की अनुदान संख्या–06 के अधीन लेखाशीर्षक–2053–जिला प्रशासन–093–जिला स्थापनाएं–आयोजनेत्तर – 03–कलेक्ट्रेरी स्थापना की मानक मद–22 आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि में प्राविधानित कुल धनराशि ₹10000 हजार के सापेक्ष उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 29 अप्रैल, 2016 एवं दिनाक 17 अगस्त, 2016 द्वारा अवमुक्त धनराशि ₹ 5000 हजार को समाहित करते हुए अवशेष धनराशि **₹ 5000 हजार (₹ पचास लाख मात्र)** को आपके निवर्तन पर रखते हुए नियमानुसार आहरण/व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 तथा तद्क्रम में समय–समय पर निर्गत आदेशों के अधीन सॉफ्टवेयर से केन्द्रीय स्तर पर एक विशिष्ट नम्बर प्राप्त करने पर ही धनराशि का आहरण एवं व्यय की जाय।
2. अवचनबद्ध मद की धनराशि को आवश्यकता के आधार पर ही व्यय किया जाय तथा प्रत्येक दशा में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जाय।
3. मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। वर्ष के प्रारम्भ से ही मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जाय और तद्नुसार प्राविधानित/आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर, बचत सुनिश्चित की जाय।

4. धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व जहां कोई आवश्यक हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा आहरण वितरण अधिकारी धनराशि की फॉंट कर उसकी प्रति शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न ही व्ययभार सृजित किया जायेगा।
5. बजट नियंत्रण अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा इस मद के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय मासिक किश्तों में वास्तविक व्यय, आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाय।
6. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्ययक से सम्बन्धित नियम(बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
7. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में व्यय की प्रतिमाह 05 तारीख तक, प्रपत्र बी0एम0–8 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।
8. धनराशि को व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें धनराशि व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
9. वित्तीय स्वीकृतियों के संबंध में व्यय की अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय और यदि किसी मामले में सीमा से अधिक व्यय अथवा विचलन दृष्टिगोचर हो तो तत्काल संज्ञान में लाया जाय।
10. जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।
11. बजट नियंत्रण अधिकारी/विभागाध्यक्ष बी0एम0–10 प्रारूप में बजट नियंत्रण पंजी में उनके स्तर पर उपलब्ध बजट तथा उनके स्तर से अधीनस्थ अधिकारियों/आहरण वितरण अधिकारियों को आवंटित बजट का विवरण रखा जाय।
12. इस संबंध में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रक अधिकारी, जिसके नमूना हस्ताक्षर समस्त कोषागारों में प्रचलित हो, के हस्ताक्षर से अनुदान के अधीन आयोजनेत्तर पक्ष की धनराशियाँ जारी की जाय अन्यथा कोषागार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा जिसके लिए सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक के अधीन अनुदान संख्या–06 के आयोजनेत्तर पक्ष के मुख्य लेखाशीर्षक–2053–जिला प्रशासन–093–जिला स्थापनाएं–03–कलेक्ट्रेरी स्थापना–22–आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–250NP/XXVII(5)/2017, दिनांक 20 फरवरी, 2017 द्वारा प्रदत्त प्राधिकार/दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(डी0 एस0 गर्ब्याल)
सचिव

संख्या–158(2)/XVIII(1)/2017 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), ओबराय मोटरर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा देहरादून।
2.महालेखाकार (आडिट), वैभव पैलेस, इन्द्रा नगर, देहरादून।
3.आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊं मण्डल पौड़ी/नैनीताल।
4.निदेशक, कोषागार, पेन्शन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
5.वित्त अधिकारी/साईबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
6.समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7.वित्त अधिकारी, आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8.बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
9.वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग–5/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
10.गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0 पी0 जोशी)
अपर सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

Secretary, Revenue (S040)

आवंटन पत्र संख्या -

अनुदान संख्या - 006

अलोटमेंट आई डी - S1703060014

आवंटन पत्र दिनांक -02-Mar-2017

HOD Name - Secretary, Protocol (9033)

1: लेखा शीर्षक 2053 - जिला प्रशासन 00 -

093 - जिला स्थापनाएं

03 - कलक्टरी स्थापना

00 - कलक्टरी स्थापना

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
22 - आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आ	5000000	5000000	10000000
	5000000	**5000000**	**10000000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 5000000